	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	चैत्र 16, सोमवार, *शाके* 1948- अप्रेल 06, 2026 Chaitra 16, Monday, Saka 1948- April 06, 2026	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

सांख्यिकी विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अप्रैल 06, 2026

संख्या पी- 5(2)/भारत की जनगणना/समन्वय/ डीइएस/2020/272 :-जनगणना नियम, 1990 के नियम 8 (ii) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार आम जनता को निर्दिष्ट करती है कि जनगणना 2027 से सम्बन्धित जनगणना कार्यों में पूर्ण सहयोग करें और जनगणना अधिकारियों / प्रगणकों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों की सही एवं स्पष्ट सूचना उपलब्ध करवाएं, साथ ही जनगणना की सूचना एकत्र करने आने वाले जनगणना अधिकारियों को मकान या अन्य स्थान में प्रवेश की अनुमति दें।

जनगणना अधिनियम 1948 की विभिन्न धाराओं के अनुसार, जनगणना कार्य में आमजन के दायित्व तथा असहयोग करने, बाधा पहुंचाने पर दंड प्रावधान, निम्नानुसार आमजन के लिए प्रसारित किए जाते हैं :-

(i) धारा 8:-प्रश्नों का पूछा जाना और उत्तर देने की बाध्यता-

(1) जनगणना अधिकारी उस स्थानीय क्षेत्र की सीमा में, जिसके लिए नियुक्ति की गई है सभी व्यक्तियों से ऐसे सभी प्रश्न पूछ सकेगा है जिन्हें पूछने के लिए, उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित जारी और राजपत्र में प्रकाशित किए गए अनुदेशों द्वारा, निदिष्ट किया जाए।

(2) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिससे उपधारा (1) के अधीन कोई प्रश्न पूछा जाता है, अपनी सर्वोतम जानकारी या विश्वास के अनुसार उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए वैध रूप से आबद्ध होगाः

परंतु कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के किसी स्त्री सदस्य का नाम बताने के लिए आबद्ध नहीं होगा और कोई भी स्त्री अपने पति या मृत पति का अथवा ऐसे किसी अन्य व्यक्ति का नाम बताने के लिए आबद्ध नहीं होगी जिसका नाम बताने के लिए वह रुढ़ि द्वारा निषिद्ध की गई हो।

(ii) धारा 9:-अधिभोगी प्रवेश करने और संख्यांक लगाने देना-

किसी गृह, अहाते, जलयान या अन्य स्थान का अधिभोग करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, जनगणना अधिकारियों को उसमें ऐसा प्रवेश करने देने की अनुज्ञा देगा जिसकी वे जनगणना के प्रयोजनों के लिए अपेक्षा करें तथा जो देश की रुढ़ियों को ध्यान में रखते हुए युक्तियुक्त हों, और वह उनको ऐसे अक्षरो, चिन्हों या संख्यांकों से जो जनगणना के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हों, उस स्थान को अंकित करने की, या उनको उस स्थान पर लगाने देने की अनुज्ञा देगा।

(iii) धारा 10:-अधिभोगी या प्रबन्धक द्वारा अनुसूची का भरा जाना-

(1) ऐसे आदेशों के अधीन रहते हुए, जैसे जनगणना आयुक्त इस निमित्त जारी करे, जनगणना अधिकारी, ऐसे स्थानीय क्षेत्र में जिसके लिए उसकी नियुक्ति की गई है, किसी निवासगृह में या किसी वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक स्थापन के प्रबंधक या किसी अधिकारी के पास एक अनुसूची, जनगणना करने के समय, यथास्थिति, ऐसे गृह या उसके किसी भाग में सहवासियों, या ऐसे प्रबंधक या अधिकारी के अधीन नियोजित व्यक्तियों के बारे में, ऐसे गृह या उसके किसी विनिर्दिष्ट भाग के अधिभोगी द्वारा या ऐसे प्रबंधक या अधिकारी द्वारा उसमे ऐसी विशिष्टियां, जैसी जनगणना आयुक्त निदिष्ट करे, भरने के प्रयोजन के लिए रख सकेगा या रखवा सकेगा।

(2) जब ऐसी अनुसूची इस प्रकार रख दी जाए तब, यथास्थिति, उक्त अधिभोगी, प्रबंधक या अधिकारी, पूर्वोक्त समय पर, यथास्थिति, ऐसे गृह या उसके किसी भाग के सहवासियों या उसके अधीन नियोजित व्यक्तियों के संबंध में, उसे अपनी सर्वोतम जानकारी या विश्वास के अनुसार भरेगा या भरवाएगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा, और जब उससे ऐसी अपेक्षा की जाए तब वह इस प्रकार भरी गई और हस्ताक्षरित अनुसूची, जनगणना अधिकारी को या ऐसे व्यक्ति को जिसे जनगणना अधिकारी निदिष्ट करे, परिदत करेगा।

(iv) धारा 11:-शास्तियां

(1) (क) कोई ऐसा जनगणना अधिकारी या जनगणना करने में सहायता देने के लिए विधिपूर्वक अपेक्षित कोई ऐसा व्यक्ति, जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम द्वारा उस पर अधिरोपित किसी कर्तव्य का पालन करने से इंकार करेगा या कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी ऐसे कर्तव्य का पालन में अन्य व्यक्ति को प्रतिबंधित या बाधित करेगा, या

(कक) कोई ऐसा जनगणना अधिकारी या जनगणना करने में सहायता देने के लिए विधिपूर्वक अपेक्षित कोई ऐसा व्यक्ति, जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के

अनुसार उस पर अधिरोपित किसी कर्तव्य का पालन करने में या उसको दिए गए किसी आदेश के पालन करने में युक्तियुक्त तत्परता बरतने में अपेक्षा करेगा, या कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी ऐसे कर्तव्य का पालन करने में या किसी ऐसे आदेश का पालन करने में अन्य व्यक्ति को प्रतिबंधित या बाधित करेगा, या

(घ) कोई ऐसा व्यक्ति, जो जनगणना अधिकारी द्वारा उससे पूछे गए किसी ऐसे प्रश्न का, जिसका उत्तर देने के लिए वह धारा 8 द्वारा वैध रूप से आबद्ध है, साशय मिथ्या उत्तर देगा, या अपनी सर्वोतम जानकारी या विश्वास के अनुसार उत्तर देने से इंकार करेगा, या

(ङ) किसी गृह, अहाते, जलयान या अन्य स्थान का अधिभोग करने वाला कोई ऐसा व्यक्ति, जो जनगणना अधिकारी को उसमें ऐसा युक्तियुक्त प्रवेश करने देने से इंकार करेगा जैसा कि वह धारा 9 द्वारा अनुजा देने के लिए अपेक्षित है, या

(च) कोई ऐसा व्यक्ति, जो किन्ही ऐसे अक्षरो, चिन्हों, या संख्यांकों को, जिन्हें जनगणना के प्रयोजनों के लिए अंकित किया या लगाया गया है, हटाएगा, मिटाएगा, परिवर्तित करेगा, या उन्हें नुकसान पहुंचाएगा, या

(छ) कोई ऐसा व्यक्ति, जिससे धारा 10 के अधीन अनुसूची भरने की अपेक्षा की गई हो, जानते हुए और बिना पर्याप्त हेतुक के उस धारा के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहेगा, या उसके अधीन कोई मिथ्या विवरणी देगा, या

(ज) कोई ऐसा व्यक्ति, जो जनगणना कार्यालय में अतिचार करेगा,

जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा और भाग (क) के अधीन किसी दोषसिद्धि की दशा में कारावास से भी, जो तीन वर्ष का हो सकेगा, दंडनीय होगा।]

(2) जो कोई उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध का दुष्प्रेरण करेगा, वह जुर्माने से, जो एक हजार रूपए तक का हो सकेगा, दंडणीय होगा।

v) धारा 15:-जनगणना के अभिलेखों का निरीक्षण नहीं किया जा सकेगा और न वे साक्ष्य में ग्राह्य होंगे-

किसी भी व्यक्ति को, जनगणना अधिकारी द्वारा उस हैसियत में अपने कर्तव्य के निर्वहन में तैयार की गई किसी पुस्तक, रजिस्टर या अभिलेख का, अथवा धारा 10 के अधीन परिदत्त किसी

अनुसूची का, निरीक्षण करने का अधिकार नहीं होगा, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (2023 का 47) में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, किसी ऐसी पुस्तक, रजिस्टर, अभिलेख या अनुसूची में की कोई भी प्रविष्टि किसी ऐसे कार्य या लोप के लिए, जो इस अधिनियम के अधीन अपराध बनता है इस अधिनियम या किसी अन्य विधि के अधीन किए गए अभियोजन से भिन्न किसी भी प्रकार की किसी सिविल कार्यवाही में अथवा किसी दांडिक कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,
भवानी सिंह देथा,
प्रमुख शासन सचिव।

STATISTICS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Jaipur, 06 April 2026

No.& P 5(2)/COI/Coord/DES/2020/272 .-In exercise of the powers conferred by Rule 8(ii) of the Census Rules, 1990, the State Government hereby directs the public to cooperate in furnishing accurate and unambiguous information in respect of the questions that may be put to them by Census Officers/Enumerators and extend full cooperation in the Census Operations pertaining to Census 2027; and to grant permission to Census Officers—who visit for the purpose of collecting census data, to enter their houses or other premises.

In accordance with various sections of the Census Act, 1948, the obligations of the general public regarding census operations, as well as the extract of penalties/ provisions applicable in cases of non-cooperation or obstruction, are hereby disseminated for the information of the general public, as follows:

(i) Section 8:- Asking of questions and obligation to answer.

(1) A census-officer may ask all such questions of all persons within the limits of the local area for which he is appointed as, by instructions issued in this behalf by the Central Government and published in the Official Gazette, he may be directed to ask.

(2) Every person of whom any question is asked under sub-section (1) shall be legally bound to answer such question to the best of his knowledge or belief:

Provided that no person shall be bound to state the name of any female member of his household, and no woman shall be bound to state the name of her husband or deceased husband or of any other person whose name she is forbidden by custom to mention.

(ii) Section 9:-Occupier to permit access and affixing of numbers.

Every person occupying any house, enclosure, vessel or other place shall allow census-officers such access thereto as they may require for the purposes of the census and as, having regard to the customs of the country, may be reasonable, and shall allow them to paint on, or affix to, the place such letters, marks or numbers as may be necessary for the purposes of the census.

(iii) Section 10:-Occupier or manager to fill up schedule.

(1) Subject to such orders as the Census Commissioner may issue in this behalf, a census-officer may, within the local area for which he is appointed, leave or cause to be left a schedule at any dwelling-house or with the manager or any officer of any commercial or industrial establishment, for the purpose of its being filled up by the occupiers of such house or of any specified part thereof or by such manager or officer with such particulars as the Census Commissioner may direct regarding the inmates of such house or part thereof, or the persons employed under such manager or officer, as the case may be, at the time of the taking of the census.

(2) When such schedule has been so left, the said occupier, manager or officer, as the case may be, shall fill it up or cause it to be filled up to the best of his knowledge or belief so far as regards the inmates of such house or part thereof or the persons employed under him, as the case may be, at the time aforesaid, and shall sign his name thereto and, when so required, shall deliver the schedule so filled up and signed to the census-officer or to such person as the census-officer may direct.

(iv) Section 11:-Penalties.

(1)(a) Any census-officer or any person lawfully required to give assistance towards the taking of census who refuses to perform any duty imposed upon him by this Act or any rule made thereunder, or any person who hinders or obstructs another person in performing any such duty, or

(aa) any census-officer or any person lawfully required to give assistance towards the taking of a census who neglects to use reasonable diligence in performing any duty imposed upon him or in obeying any order issued to him in accordance with this Act or any rule made thereunder, or any person who hinders or obstructs another person in performing any such duty or obeying any such order, or;

(d) any person who intentionally gives a false answer to, or refuses to answer to the best of his knowledge or belief, any question asked of him by a census-officer which he is legally bound by section 8 to answer, or

(e) any person occupying any house, enclosure, vessel or other place who refuses to allow a census officer such reasonable access thereto as he is required by section 9 to allow, or

(f) any person who removes, obliterates, alters, or damages any letters, marks or numbers which have been painted or affixed for the purposes of the census, or

(g) any person who, having been required under section 10 to fill up a schedule, knowingly and without sufficient cause fails to comply with the provisions of that section, or makes any false return there under, or

(h) any person who trespasses into a census office,

shall be punishable with fine which may extend to one thousand rupees and in case of a conviction under part (a) shall also be punishable with imprisonment which may extend to three years.

(2) Whoever abets any offence under sub-section (1) shall be punishable with fine which may extend to one thousand rupees.

(v) Section 15:-Records of census not open to inspection nor admissible in evidence.

No person shall have a right to inspect any book, register or record made by census-officer in the discharge of his duty as such, or any schedule delivered under section 10, and notwithstanding anything to the contrary in the BharatiynSakshya Adhiniyam, 2023(47 of 2023), no entry in any such book, register, record or schedule shall be admissible as evidence in any civil proceeding whatsoever or in any criminal proceeding other than a prosecution under this Act or any other law for any act or omission which constitutes an offence under this Act.

By order of the Governor,

Bhawani Singh Detha,
Principal Secretary.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।